न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 2012/00147

1. मृतक पाना बाई पुत्री स्व0 श्री भैरूलाल जी पत्नी देवीराम जी जाति धोबी निवासी रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा जरिये कायम मुकामानः–
   1. मृतक लक्ष्मीनारायण पुत्र देवीराम जरिये कायम मुकामान–
   1/1. शांति बाई पत्नी स्व0 लक्ष्मीनारायण निवासी श्रीराम कॉलोनी रायपुरा कोटा राज0।
   1/2. मनोज पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण निवासी श्रीराम कॉलोनी रायपुरा कोटा राज0।
   1/3. विनोद पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण निवासी श्रीराम कॉलोनी रायपुरा कोटा राज0।
   1/4. निर्मला पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण निवासी श्रीराम कॉलोनी रायपुरा कोटा राज0।
   1/5. खुशबू पंकज पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण निवासी श्रीराम कॉलोनी रायपुरा कोटा राज0।
   1/6. प्रमिला पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण निवासी श्रीराम कॉलोनी रायपुरा कोटा राज0।
2. राधेश्याम पुत्र देवीराम निवासी रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
3. नन्दू बाई पुत्री देवीराम निवासी रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
4. घनश्याम पुत्र देवीराम निवासी रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
5. धर्मा पुत्री स्व0 मोहनलाल निवासी रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
6. राजेश पत्नी स्व0 मोहनलाल निवासी रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
7. रूकमणी बाई पुत्री देवीराम जी निवासी रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
8. सत्यनारायण पुत्र देवीराम जी निवासी रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।

9. राधा पुत्री देवीराम जी निवासी रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।

——अपीलान्टगण

बनाम

1. गणपत आत्मज स्वर्गीय बिरधा तथाकथित मुतबन्ना स्व0 भैरूलाल जाति धोबी निवासी ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
2. (नाम डिलीट) कल्याण विधवा पत्नी स्व0 बिरधा जाति धोबी निवासी ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
3. सुन्दरा आत्मज स्व0 बिरधा जाति धोबी ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
4. गोपाल आत्मज स्व0 बिरधा जाति धोबी ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
5. गणपति पुत्री स्व0 बिरधा पत्नी मदनलाल जी जाति धोबी निवासी राजपुत कोलोनी कन्सुवां कोटा, जिला कोटा राज0।
6. काली पुत्री स्व0 बिरधा पत्नी पत्नी स्व0 नाथूलाल निवासी गुर्जरों का मोहल्ला रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
7. मृतक आत्माराम आत्मज स्व0 मन्ना जरिये कायम मुकामानः—
   7/1. बाबूलाल आत्मज आत्माराम जाति धोबी निवासी गुर्जरों का मोहल्ला रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
   7/2. राधेश्याम आत्मज आत्माराम जाति धोबी निवासी गुर्जरों का मोहल्ला रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
   7/3. रवि आत्मज आत्माराम जाति धोबी निवासी गुर्जरों का मोहल्ला रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
   7/4. बृजमोहन आत्मज आत्माराम जाति धोबी निवासी गुर्जरों का मोहल्ला रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
   7/5. हजारी आत्मज आत्माराम जाति धोबी निवासी गुर्जरों का मोहल्ला रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
   7/6. शान्ति बाई पुत्री आत्मज आत्माराम जाति धोबी निवासी गुर्जरों का मोहल्ला रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
8. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा राज0।

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :— 1. श्री भारत सिंह अडसेला, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

2. श्री संजय शर्मा, अभिभावक, रेस्पोडेन्ट कम 01, 04, 07/01 व 06 की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 06.09.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 66/2010 में पारित निर्णय दिनांक 18.11.2011 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीया अपीलांट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीया व प्रतिपक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थीया के पिता श्री भैरूलाल जी को प्रार्थीया के काका श्री बिरधा जी व श्री आत्माराम के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त में ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कौटा में वाद पत्र में लिखे अनुसार कुल 06 किता की 20 बीघा 07 बिस्वा आराजी स्थित थी जिस पर प्रार्थीया के पिता श्री भैरूलाल जी दीगर सहखातेदारान के साथ शामलाती रूप से उपरोक्त भूमि पर अपने जीवनकाल तक निरन्तर काबिज होकर काश्त करते रहे। श्री भैरूलाल जी का वर्ष 1980 में स्वर्गवास हो गया। सहखातेदारान श्री बिरधा जी का भी स्वर्गवास हो गया था। श्री भैरूलाल जी के कोई पुत्र नहीं था केवल मात्र एक पुत्री प्रार्थीया पाना बाई थी जो उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी एवं वारिस है। श्री भैरूलाल जी एवं बिरधा जी के स्वर्गवास के उपरांत विरासत के आधार पर उपरोक्त भूमि नामान्तरकरण सं0 57 दिनांक 12.06.1981 को मृतक भैरूलाल जी के स्थान पर प्रार्थीया की माता श्रीमती रामकंवरी व प्रार्थीया पाना बाई के हिस्से 1/3 तथा मृतक बिरधा जी के स्थान पर उनके वारिसान प्रतिपक्षी नं0 02 लगायत 06 के हिस्सा 1/3 दर्ज की गई। वक्त नामान्तरकरण से ही प्रार्थीया व उसकी माता रामकंवरी अपने 1/3 हिस्सा भूमि पर दीगर सहखातेदारान के साथ संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही थी। प्रार्थीया की माता रामकंवरी का भी स्वर्गवास हो गया। उनके स्वर्गवास के उपरांत से ही प्रार्थीया उपरोक्त भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि पर दीगर सहखातेदारान के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त चली आ रही है। तथा वर्तमान में भी काबिज है। प्रतिपक्षी नं0 01 गणपत का प्रार्थीया के पिता श्री भैरूलाल जी की उक्त 1/3 हिस्सा भूमि पर कोई हक एवं अधिकार नहीं है। प्रतिपक्षी नं0 01 भैरूलाल जी का उत्तराधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीया के पिता श्री भैरूलाल जी ने अपने जीवनकाल में प्रतिपक्षी नं0 01 को कभी भी गोद नहीं

लिया था और ना ही उसके पक्ष में कोई वसीयतनामा आदि निष्पादित किया। तथाकथित दस्तावेज या वसीयतनामा एक कूटरचित एवं बनावटी दस्तावेज है जिससे प्रतिपक्षी नं0 01 को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होते है तथाकथित दस्तावेज प्रार्थीया के हितों के विरूद्ध अवैध व प्रभाव शुन्य है। प्रार्थीया के पक्ष में विरासत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक होने के उपरांत भी प्रतिपक्षी नं0 01 ने प्रार्थीया के अनपढ व महिला होने का फायदा उठाकर राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर प्रार्थीया को सूचना दिये बिना ही प्रार्थीया की अनुपस्थिति में तथाकथित कुटरचित एवं बनावटी दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीया के पिता श्री भैरूलाल का फौती नामान्तरकरण सं0 58 दिनांक 30.06.1981 को अपने पक्ष में तस्दीक करा लिया जो सर्वथा अवैध, त्रुटिपूर्ण एवं क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण प्रभावशुन्य है। वर्तमान में सेटलमेंट में उपरोक्त भूमि के नये खसरा नं0 एवं रकबा निम्न प्रकार से कायम हुआ है।

कम सं0	खसरा सं0	रकबा
1	85	1.23 हैक्टेयर
2	103	0.24 हैक्टेयर
3	123	0.51 हैक्टेयर
4	151	0.03 हैक्टेयर
5	286	0.32 हैक्टेयर
6	287	0.38 हैक्टेयर
7	274	0.11 हैक्टेयर
	कुल 7 किता की	2.82 हैक्टेयर

संलग्न राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2047–2050 व वर्तमान जमाबंदी संवत् 2063–2066 में उपरोक्त भूमि प्रतिपक्षी नं0 01 लगायत 07 के संयुक्त खाते दर्ज है। प्रार्थीया श्री भैरूलाल जी की पुत्री है तथा उनकी एकमात्र वारिस एवं प्राकृतिक उत्तराधिकारी है। प्रार्थीया अपने पिता श्री भैरूलाल जी के स्वर्गवास के उपरांत से ही उक्त आराजी में निरंतर बहैसियत खातेदार काबिज चली आ रही है। प्रतिपक्षी नं0 01 भैरूलाल जी का गोद पुत्र नहीं है एवं उत्तराधिकारी नहीं है। उसका भैरूलाल जी की हिस्सा भूमि पर कोई कब्जा एवं हक एवं अधिकार नहीं है। प्रतिपक्षी नं0 01 राजस्व रिकार्ड के अवैध इन्द्रजात के आधार पर प्रार्थीया के 1/3 हिस्सा भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में आये दिन हस्तक्षेप करता है तथा प्रार्थीया को जबरन बलपूर्वक उपरोक्त भूमि पर आकर प्रार्थीया को काश्त करने में अडचन पैदा करता है तथा प्रार्थीया से गाली गलोच व लडाई झगडा करता है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का उपरोक्त आराजी पर शांतिपूर्ण काश्त करना संभव नहीं है उपरोक्त कारण से प्रार्थीया उपरोक्त

आराजी में अपनी 1/3 हिस्सा भूमि पर रिसीवर नियुक्त कराना चाहती है ताकि प्रार्थीया के अधिकार सुरक्षित रहे ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत एवं आवश्यक है। प्रतिपक्षी नं0 01 राजस्व रिकार्ड के अवैध एवं त्रुटिपूर्ण इन्द्राजात के आधार पर उपरोक्त भूमि को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरित करने पर आमादा है जिसका कि प्रतिपक्षी नं0 01 को कोई हक एवं अधिकार नहीं है। यदि प्रतिपक्षी नं0 01 द्वारा उक्त अवैध इन्द्राजात के आधार पर उपरोक्त आराजी 1/3 हिस्सा को अवैध रूप से खुर्द बुर्द या बेचान, हस्तान्तरित कर दिया गया तो प्रार्थीया के हितों पर विपरित प्रभाव पडेगा तथा प्रार्थीया का वाद पेश करना निरर्थक हो जाएगा। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी नं0 01 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाने के लिए यह वाद माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया कि वह उपरोक्त आराजी में 1/3 हिस्सा भूमि को रहन, बेचान, हस्तान्तरित नहीं करे। प्रार्थीया का प्रथम दृष्ट्या केस है एवं सुविधाा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। अन्त में ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की हाल खसरा नम्बर 85 की रकबा 1.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 103 की 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 123 की 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 151 की 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 286 की 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 287 की 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 274 की 0.11 हैक्टेयर की कुल 2.92 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीया के 1/3 हिस्से की भूमि बाबत तहसीलदार लाडपुरा को रिसीवर नियुक्त किये जाने तथा ताफैसला वाद प्रतिपक्षी संख्या 1 को पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि वह राजस्व रिकॉर्ड के अवैध इन्द्राजात के आधार पर उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द रहन, बेचान, हस्तान्तरित नहीं करे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.11.2011 के द्वारा प्रार्थीया अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 18.11.2011 से व्यथित होकर प्रार्थीया अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18.11.2011 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2011 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपील के विचाराधीन रहते हुए अप्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट संख्या ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया। साथ ही

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि ये दस्तावेज राजकीय प्रकृति के सार्वजनिक दस्तावेज है तथा इन्हें रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि अपील की इस स्टेज पर ये दस्तावेज स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

6. हमने रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष में अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में वसीयतनामा दिनांक 31.10.1980, तहरीर गोदनामा दिनांक 30.10.1980, नकल आदेश दिनांक 26.06.1981 तहसीलदार लाडपुरा कोटा, नकल निर्णय दिनांक 09.06.1983 न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी कोटा, नकल इंतकाल संख्या 58 दिनांक 30.06.1981, नकल जमाबंदी संख्या 2063–2066 ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0, पहचान पत्र गणपत, वोटर लिस्ट 1975, विद्युत बिल, वोटर लिस्ट 2009, रसीदे लगान संलग्न कर पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेज की प्रकृति के है तथा उक्त सभी दस्तावेज प्रकरण से संबंधित होना प्रतीत होते है तथा उक्त सभी दस्तावेजों का अपील के निस्तारण में सहायक सिद्ध होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि कि निर्णय दिनांक 18.11.2011 कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीनी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा एवं नियुक्त किये जाने रिसीवर अस्वीकार फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि प्रार्थीनी अपीलांट पाना बाई मृतक श्री भैरूलाल जी की एकमात्र पुत्री व एकमात्र वारिस है। रेस्पो० नं० 1 प्रार्थीनी अपीलांट के काका श्री बिरधा जी का पुत्र है। रेस्पो० नं० 1 गणपत का प्रार्थीनी अपीलांट के पिता श्री भैरूलाल जी की भूमि में कोई हक एवं अधिकार नहीं है। अपीलांट के पिता श्री भैरूलाल जी ने अपने जीवनकाल में रेस्पो० न० 1 को कभी भी गोद नहीं लिया और ना ही उसके पक्ष में कोई वसीयतनामा आदि निष्पादित किया। तथाकथित दस्तावेज वसीयतनामा गोदनामा एक कूटरचित एवं बनावटी दस्तावेज है जो रेस्पो० नं० 1 द्वारा छलपूर्वक तैयार किया गया है। जिनसे रेस्पो० नं० 1 को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होते हैं इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कम 2 कोटा में प्रस्तुत विविध दीवानी प्रार्थना पत्र संख्या 61/ 2010 गणपत बनाम पाना बाई वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 1/12/2010 का अनुसरण कर उसी अनुरूप इस प्रकरण में भी एक दूसरे के विपरीत किन्तु समान स्थितियां विद्यमान होना मानने के उपरांत भी प्रार्थीनी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय का गलत विवेचन करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्त्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि रेस्पो० नं० 1 द्वारा प्रस्तुत तथाकथित वसीयतनामा जो दिनांक 31.10.1980 को निष्पादित होकर दिनांक 3.12.1980 को पंजीकृत हुआ है तथा तथाकथित गोदनामा दिनांक 30. 10.1980 जिनके आधार पर रेस्पो० नं० 1 श्री भैरूलाल जी उक्त भूमि में हक जाहिर करता है उक्त दोनों दस्तावेजात के कथन विरोधाभासी हैं तथा दोनों दस्तावेजात प्रथम दृष्टया ही बनावटी व सन्देहास्पद प्रतीत होते हैं जिनसे रेस्पो० नं० 1 को कोई वादग्रस्त भूमि में कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीनी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने में त्रुटि की है। रेस्पो० नं० 7 आत्माराम जी का आदेश जैर अपील के उपरांत स्वर्गवास हो गया है। अतः उनके कायम मुकामान को पक्षकार बनाकर अपील प्रस्तुत की गयी है। नामान्तरकरण एक फिस्कल कार्यवाही है। नामान्तरकरण के आधार पर हक, अधिकार तय नहीं होते है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज बाद के बनाए हुए दस्तावेज है। पक्षकारों के हक अधिकार तथा सभी दस्तावेज नियमित वाद में तय होंगे तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। यदि माननीय न्यायालय विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त करना उचित नहीं समझे तो विवादित भूमि को रहन, विकय आदि नहीं करने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पाबन्द करे। रहन विकय आदि नहीं करने हेतु रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया जाना भी उचित होगा। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11. 2011 को खारिज फरमाने का निवेदन किया तथा अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया।

8. रेस्पोन्डेन्टगण के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि भैरू, बिरधा, एवं आत्माराम पिसरान मन्ना के संयुक्त खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नम्बर 24 की 7 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 25 की 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 72 की रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 81 की 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 235 की रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 236 की 19 बिस्वा कुल 20 बीघा 7 बिस्वा आराजी वाके ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित थी। उकत आराजी के भैरू, बिरधा एवं आत्माराम संयुक्त खातेदार थे एवं उक्त आराजी में प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा निहित था।

भैरू आत्मज मन्ना के कोई पुत्र नहीं था इसलिए भैरू आत्मज मन्ना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को गोदपुत्र ग्रहण कर लिया तथा दिनांक 30.10.1980 को गवाहों एवं समाज के लोगों तथा पंचायत के पंचों के समक्ष एक तहरीर आलेखित कर दी थी। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मृतक भैरू आत्मज मन्ना का एक मात्र पुत्र है। भैरू आत्मज मन्ना ने उसके हिस्से की उक्त आराजी एवं अन्य गावों की आराजी तथा अन्य चल–अचल सम्पत्ति को लेकर भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो इसलिए अपने जीवनकाल में ही दिनांक 31.10.1980 को एक रजिस्टर्ड वसीयत प्रतिपक्षी संख्या 1 के पक्ष में आलेखित कर दी जो उपपंजीयक महोदय कोटा के यहां पुस्तक संख्या 111, जिल्द संख्या 32, कम संख्या 80, पृष्ठ संख्या 153 से 157 पर दिनांक 03.12.1980 को पंजीकृत हो रही है। तदुपरान्त उक्त भैरू आत्मज मन्ना का स्वर्गवास दिनांक 27.05.1981 को हो गया एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात उक्त आराजी का प्रतिपक्षी संख्या 1 उक्त आराजी का एकमात्र मालिक एवं काबिज काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार उक्त आराजी में भैरू के हिस्से की आराजी से प्रार्थीया का कोई सम्बंध नहीं है। भैरू आत्मज मन्ना के स्वर्गवास के पश्चात उक्त आराजी में भैरू के 1/3 हिस्से की आराजी में तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा के आदेश दिनांक 26.06.1981 से प्रतिपक्षी संख्या 1 का नाम दर्ज करने के आदेश पारित हुए जिस पर इन्तकाल संख्या 58 दिनांक 30.06.1981 से उक्त आराजी में भैरू पुत्र मन्ना के स्थान पर उसके हिस्से की आराजी पर प्रतिपक्षी संख्या 1 का नाम दर्ज हो गया। इस प्रकार प्रतिपक्षी संख्या 1 तभी से उक्त आराजी का एकमात्र मालिक एंव काबिज चला आ रहा है एंव उक्त आराजी वर्तमान मे भी प्रतिपक्षी संख्या 1 के खाते दर्ज है। इसलिए प्रार्थीया का प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है। न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीया ने एक अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध एंव भू–अभिलेख अधिकारी कोटा के यहॉ प्रस्तुत की। उक्त अपील दिनांक 09.06.1983 को खारिज कर दी एवं उक्त निर्णय अन्तिम हो गया जो प्रार्थीया के ज्ञान में है। इसलिए अब प्रार्थीया उक्त निर्णय के विरूद्ध इतने वर्षों बाद कोई भी कथन करने से एस्टोप्ड है एंव प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र इस आधार पर भी चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीया ने प्रस्तुत वाद में वसीयत को निरस्त किये जाने की सहायता नहीं चाही है एवं प्रस्तुत वाद वसीयत को निरस्त किये बिना मेन्टेनेबल नहीं है। वैसे भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। इसलिए प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया ने अपने वाद में जिस इन्तकाल संख्या 58 दिनांक 30.06.1981 को चुनौती दी है, उक्त इन्तकाल सन् 1981 से ही प्रार्थीया के ज्ञान में है। इसलिए अब 30 वर्षो बाद उक्त इन्तकाल के विरूद्ध प्रार्थीया कोई भी कथन करने से एस्टोप्ड है। प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थना–पत्र में रिसीवर नियुक्त करने की सहायता चाही है रेस्पोडेन्ट

संख्या 1 उक्त आराजी पर 1981 से ही निरन्तर एवं अबाध रूप से काबिज है। कानूनन रिसीवर के माध्यम से कब्जेधारी व्यक्ति को बेदखल नहीं किया जा सकता है। इनका प्रार्थना–पत्र में रिसीवरी व अस्थाई निषेधाज्ञा दोनो अनुतोष चाहे है तथा सम्मिलित प्रार्थना–पत्र कानूनन पोषणीय नहीं है। सन् 1975 की मतदाता सूचि व अन्य दस्तावेजों में गणपत पुत्र भैरूलाल दर्ज है। अतः यह साबित है कि गणपत भैरूलाल के गोद चले गए थे। जहाँ तक प्रश्न अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का है तो खातेदार काबिज व्यक्ति के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थीया का कोई प्रथम दृष्ट्या केस नहीं है एवं न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है तथा न ही प्रार्थीया को कोई अपरिमित हानि होने की संभावना है। इसके विपरीत प्रतिपक्षी का केस प्रथम दृष्ट्या सहीं है। सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में है एवं यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई अथवा विवादित आराजी का रिसीवर नियुक्त किया तो अपरिमित हानि भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को ही होगी, क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त आराजी का खातेदार एवं काबिज काश्त है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत आर आर टी 2016–17 (Supp) पेज 637, आर आर टी 2016(2) पेज 1323, 1144, आर आर टी 2018(1) पेज 692, आर आर टी 2018(2) पेज 1275 व आर आर डी 1986 पेज 01 पेश किए। अंत में अपील अपीलांट खारिज करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.11.2011 को बहाल रखने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत 2021 से 2024 के अनुसार ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खाता संख्या 45 की खसरा संख्या 24, 25, 72, 81मि., 235, 236 किता 6 रकबा 20 बीघा 7 बिस्वा भूमि भैरू, बिरधा, आत्माराम पिसरान मन्ना कौम धोबी सा. देह हिस्सा बराबर दर्ज रिकॉर्ड है। फोटोप्रति नामान्तरकरण पंजीका ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की है जिसके अनुसार नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 12.06.1981 से खसरा संख्या 24, 25, 72, 81मि., 235, 236 किता 6 रकबा 20 बीघा 7 बिस्वा भूमि में मृतक भैरू के स्थान पर रामकंवरी बेवा भैरू व पाना बाई पुत्री भैरू हि.ब. से से तथा मृतक बिरधा के स्थान पर कल्याणी बेवा बिरधा व गणपत, सुन्दरा, गोपाल पि. बिरधा व गणपति व काली पुत्रियां बिरधा के नाम हि.ब. से दर्ज किये जाने का अंकन है। फोटोप्रति नामान्तरकरण पंजिका ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की है जिसके अनुसार नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 30.06.

1981 से खसरा संख्या 24, 25, 72, 81मि., 235, 236 किता 6 रकबा 20 बीघा 7 बिस्वा भूमि में मृतक भैरू के स्थान पर रामकंवरी बेवा भैरू व पाना बाई पुत्री भैरू हि.ब. से तथा मृतक बिरधा के स्थान पर गणपत दत्तक पुत्र का नाम दर्ज किये जाने व शेष इन्द्राज बदस्तूर रखे जाने का अंकन है। फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत 2029 से 2032 के अनुसार ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खाता संख्या 44 की खसरा संख्या 199 रकबा 6 बिस्वा भूमि भैरू पुत्र मन्ना कौम धोबी सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है तथा खाता संख्या 45 की खसरा संख्या 24, 25, 72, 81मि., 235, 236 किता 6 रकबा 20 बीघा 7 बिस्वा भूमि भैरू, बिरधा, आत्माराम पिसरान मन्ना कौम धोबी सा. देह हिस्सा बराबर दर्ज रिकॉर्ड है। फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत् 2047 से 2050 ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खाता संख्या 18 की भूमि खसरा संख्या 85, 103, 123, 151, 286, 287 किता 7 रकबा 2.92 हैक्टेयर भूमि गणपत दत्तक पुत्र भैरू हि. 1/3 कल्याणी बेवा बिरधा व सुन्दरा गोपाल पि. बिरधा व गणपति काली पुत्रियॉ बिरधा हि. 1/3 आत्माराम पुत्र मन्ना कौम धोबी हि. 1/3 सा. देह हि. बराबर दर्ज रिकॉर्ड है। फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत् 2063 से 2066 के अनुसार ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा की खाता संख्या 17 में दर्ज खसरा संख्या 85, 103, 123, 151, 274, 186, 287 किता 7 रकबा 2.92 हैक्टेयर भूमि गणपत दत्तक पुत्र भैरू हि. 1/3 कल्याणी बेवा बिरधा सुन्दरा गोपाल पिस. गणपति काली पुत्रियॉ बिरधा हि. 1/3 आत्माराम पुत्र मन्ना जाति धोबी हि. 1/3 सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है। फोटोप्रति मुख्तार आम दिनांक 07.05.2010 की है। फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत् 2065 से 2068 के अनुसार ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा की खाता संख्या 46 की खसरा संख्या 191, 194, 196, 197, 198, 199, 202, 239 किता 8 रकबा 2.04 हैक्टेयर भूमि पानाबाई पुत्र भैरू हि. 1/3 आत्माराम पुत्र मन्ना हि. 1/3 गणपत सुन्दरा गोपाल पि. बिरधा हि. 1/3 में हि.ब. कोम धोबी सा. रायपुरा दर्ज रिकॉर्ड है। फोटोप्रति माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या–2, कोटा(राज0) के निर्णय दिनांक 01.09.2010 की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.11.2011 में अस्थाई निषेधाज्ञा के सन्दर्भ में तीनो घटकों–प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का विवेचन नहीं किया गया है। अतः हस्तगत प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दुओं–प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के परिप्रेक्ष्य में विवेचित किया कर निष्कर्ष पारित किया जाना उचित होगा। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि विवादित भूमि भैरूलाल पुत्र मन्नालाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। पाना बाई भैरूलाल की पुत्री है। इस सम्बंध में नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 12.06.1981 स्वीकृत होकर उक्त भूमि में मृतक भैरू के स्थान पर रामकंवरी बेवा भैरू व पाना बाई पुत्री भैरू हिस्सा बराबर दर्ज हुआ तथा इसके पश्चात तहसीलदार

द्वारा नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 30.06.1981 स्वीकृत होकर मृतक भैरू के स्थान पर गणपत दत्तक पुत्र का नाम दर्ज हुआ। पानाबाई द्वारा तहसीलदार लाडपुरा, कोटा के आदेश दिनांक 26.06.1981 के विरूद्ध न्यायालय भू–प्रबन्ध एवं भू–अभिलेख अधिकारी कोटा के यहाँ अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 09.06.1983 को खारिज कर दी गई। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.11.2011 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत निर्णय पारीत करते हुए माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.09.2010 को संज्ञान में रखा है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या–2, कोटा के निर्णय दिनांक 01.09.2010 का अवलोकन किया। इस निर्णय में प्रार्थी गणपत का प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करते हुए आदेश दिया गया है कि, "उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि समस्त पक्षकारान् प्रार्थना पत्र की मद संख्या–3 में अंकित ग्राम रायपुरा में स्थित खसरा नंबर 201 की आराजी और ग्राम कन्सुआ में स्थित समस्त आराजी के सन्दर्भ में ताफैसला दावा यथास्थिति बनाए रखें।" इस प्रकार माननीय सैशन न्यायाधीश संख्या–2, कोटा के निर्णय दिनांक 01.09.2010 में भी विवादित भूमि की यथास्थिति का आदेश दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस निर्णय को समझने में भूल की है। हस्तगत प्रकरण में भी प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा उठाए गए तथ्य एवं विधि से सम्बंधित बिन्दुओं का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि लेने के उपरांत निर्णित हो सकेंगे। हमारे मत में तब तक वादग्रस्त भूमि को संरक्षित किया जाना उचित प्रतीत होता है ताकि वाद बहुलता भी नहीं बढ़े तथा विवादित भूमि का स्वरूप व स्थिति भी संरक्षित रह सके। नामान्तरकरण की अपील में न्यायालय भू–प्रबन्ध एवं भू–अभिलेख अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 09.06.1983 का हस्तगत घोषणा के वाद पर क्या विधिक प्रभाव होगा? यह मूलवाद में तय होगा। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण विवादित भूमि की यथास्थिति बनाए रखने तक प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। जहाँ तक सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का प्रश्न है उसके सन्दर्भ में यदि प्रार्थना–पत्र में अंकित विवादित भूमि रहन, विक्रय आदि होती है तो इससे वाद बहुलता बढ़ेगी तथा प्रार्थी अपीलांट को तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा होगी तथा अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को होना प्रतीत होता है। अधिवक्ता अपीलांट ने भी दौराने बहस कथन किया है कि कम से कम रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया जाए कि वह विवादित भूमि को रहन, विक्रय आदि नहीं करे। हमारे मत में चूंकि भूमि इन–मिडियो नहीं है, अतः इस पर रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित नहीं है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में वसीयत एंव उत्तराधिकार के जटिल प्रश्नों का साक्ष्य/गवाहो आदि के उपरांत वाद में निर्णय किया जाना है। अतः वाद के निर्णय तक विवादित भूमि को संरक्षित किया जाना उचित है।

विवादित भूमि को संरक्षित रखने हेतु अप्रार्थी संख्या 1/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विवादित भूमि के रहन, विक्रय, खुर्द–बुर्द आदि नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का तर्क यह रहा है कि रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। परन्तु हमारे मत में यह सिद्धान्त प्रत्येक प्रकरण की तथ्य एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए लागू होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी पाना बाई विवादित भूमि के खातेदार की पुत्री है तथा उसने घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथा हस्तगत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियॉं भिन्न होने से हुबहु इस पर चस्पा नहीं होते। अतः अपील अपीलांटगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2011 खारिज किया जाता है । अप्रार्थी संख्या 1/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक विवादित भूमि वाके ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की हाल खसरा नम्बर 85 की 1.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 103 की 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 123 की 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 151 की 0.030 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 286 की 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 287 की 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 274 की 0.11 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.92 हैक्टेयर को रहन, बेचान व खुर्द–बुर्द न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावें।

11. पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 05.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा